(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 7 / 2023
दिनांकः 18 अप्रैल, 2023

विषयः अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम के संबंध में।

समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा एमनेस्टी स्कीम को अधिसूचित करने वाली, सार्वजनिक सूचना सं. 02 / 2023 दिनांक 01.04.2023 के पैरा II (ii) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

II) ii. उपरोक्त पैरा (I) में उल्लिखित प्राधिकार पत्रों के निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को प्राधिकार पत्र धारक द्वारा उन सभी सीमाशुल्कों, जिन्हें अपूर्ण निर्यात दायित्व के अनुपात में छूट दी गई थी, के भुगतान पर विनियमित किया जा सकता है और **ऐसे छूट प्राप्त शुल्कों जिस पर ब्याज देय है के अधिकतम 100 प्रतिशत की देय ब्याज सीमा निर्धारित की गई है।** तथापि अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सार्वजनिक सूचना सं. 02 / 2023 दिनांक 01.04.2023 को शुल्कों, जिस पर ब्याज देय है, को स्पष्ट करने हेतु संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
18.4.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 18 / 15 / एएम–23 / पी–5 से जारी)